भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं0 एबी.14017/61/2008-स्थापना(आरआर) के अनुपालन में,सफदरजंग अस्पताल में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

ग.सामंत
(जी. पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061521

नई दिल्ली
दिनांक : 12/3/19

(भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. . . .:- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक, (समूह 'ग') भर्ती नियम 1996 को, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण एवं वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य सफाई अधीक्षक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: सफ़दरजंग अस्पताल के सफाई अधीक्षक से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर 5 (रु. 29200-92300) में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में

			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी– (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी विषय में स्नातक की डिग्री; (ii) सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में सफाई कार्य की देखभाल का दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण:1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण :2-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति: 1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य 3. निदेशक या उपनिदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उपनिदेशक, प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य	संघ लोक सेवा से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[ए11018/03/2018 आरआर (एमएच-II)]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार